न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 05/2024

1. **सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला केकड़ी।**

..... **सायल**

बनाम

2. **जमील मोहम्मद पुत्र श्री बाबु मोहम्मद निवासी वार्ड नं0 8 बड़ा मोहल्ला सरवाड़ पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी।**

..... **गैर सायल**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :– 1–अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार।
2–गैर सायल एवं उनके अभिभाषक श्री केशरलाल चौधरी

::–निर्णय–:: **दिनांक 22.10.2024**

1. पुलिस अधीक्षक, केकड़ी द्वारा गैर सायल जमील मोहम्मद पुत्र श्री बाबु मोहम्मद निवासी वार्ड नं0 8 बड़ा मोहल्ला सरवाड़ पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी के विरूद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

2. इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा आरोपों को स्वीकार किया गया तथा जरिये अभिभाषक लिखित में जवाब पेश किया। अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।

3. अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्व अभियोग क्रमशः 113/2019 दिनांक 20.05.2019 थाना सरवाड़, 196/2019 दिनांक 11.08.2019 थाना सरवाड़, 82/2020 दिनांक 15.03.2020 थाना सरवाड़, 268/2020 दिनांक 07.11.2020 थाना सरवाड़, 290/2020 दिनांक 22.12.2020 थाना सरवाड़, 310/2021 दिनांक 15.11.2021 थाना सरवाड़ धारा 13 RPGO अधिनियम में दर्ज होकर सभी 6 प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तथा अभियोग क्रमशः 17/2023 दिनांक 14.01.2023 थाना सरवाड़ व 127/2023 दिनांक 21.05.2023 थाना सरवाड़ 13 RPGO अधिनियम में दर्ज होकर दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
केकड़ी

सुनाई जाना लम्बित है। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही बदमाशान के साथ उठ बैठ कर शराब पीना व जुआ खेलने का अपराध करने लग गया है। आम आदमियों को डराने–धमकाने जैसे अपराध करने व लोगों को जुआ खेलने के लिए उकसाता है जिसकी वजह से समाज के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावें।

4. गैर सायल के अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 13 RPGO अधिनियम के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

5. हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं अभिभाषक गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्व उक्त प्रकरण जुआ खेलने से संबंधित है। गैरसायल के विरूद्ध कुल 8 प्रकरणों में से 6 का पूर्व में निस्तारण हो चुका है तथा 2 प्रकरण वर्तमान में निस्तारण से शेष है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने का आदी है। इस कारण समाज के लोगो पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

6. **अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, केकड़ी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल जमील मोहम्मद पुत्र श्री बाबु मोहम्मद निवासी वार्ड नं0 8 बड़ा मोहल्ला सरवाड़ पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी को दिनांक 22.10.2024 से 22.11.2024 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी से पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला केकड़ी के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधो की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला केकड़ी के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला केकड़ी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।**

निर्णय आज **दिनांक 22.10.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10/24

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
केकड़ी